झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के
अनुच्छेद 176 (I) के अन्तर्गत
झारखण्ड विधान सभा के अधिवेशन में
झारखण्ड के

महामहिम राज्यपाल

न्यायमूर्ति श्री मंडगद्दे रामा जोयिस

का

अभिभाषण

राँची
27 फरवरी, 2003

झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

झारखण्ड विधान सभा के अष्टम् सत्र में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

2. झारखण्ड राज्य की जनता की चिर अभिलाषा एवं उत्कट आकांक्षा का प्रतिफल है झारखण्ड राज्य का सृजन। नये राज्य के गठन के साथ सरकार के समक्ष प्रशासन को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने की बड़ी चुनौती थी। 27 माह की अल्प अवधि में ही राज्य के प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ योजनाओं के सूत्रीकरण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु भी कारगर कदम उठाये गए हैं। फलस्वरूप राज्य गठन के पूर्व की ठहरी हुई विकास की रफ्तार की जड़ता टूटी है। पत्र-पत्रिकाओं की सर्वे रिपोर्टों में राज्य में हो रहे विकास कार्यों को पहचान मिलने लगी है। सरकार ने विकास के सभी क्षेत्रों के लक्ष्य तय कर लिये हैं - वार्षिक योजनाओं के माध्यम से अल्पकालिक तथा विजन–2010 (VISION-2010) के माध्यम से दूरगामी।

3. राज्य सरकार के सामने उग्रवाद सबसे बड़ी चुनौती रही है। सरकार की यह सोच है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। विकास कार्यक्रमों के सही एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, तथा लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। **उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वैत रणनीति पर कार्य कर रही है।** पहला है विकास की गति को तीव्र कर समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों को उनका न्यायपूर्ण हक दिलाना तथा दूसरा है उग्रवादी प्रत्यर्पण नीति को सघनता से लागू कर उग्रवादी तत्वों को हिंसा का रास्ता छुड़वाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। अब तक 73 व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया है। किन्तु सरकार उन उग्रवादियों के विरुद्ध अपनी जंग के प्रति दृढ़संकल्प है, जो हत्या एवं लूट को व्यक्तिगत लाभ का व्यवसाय बनाये हुए हैं।

4. राज्य सरकार ने कुख्यात अपराधियों एवं नक्सल क्रियावादियों की गिरफ्तारी में सहयोग पहुँचाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 5.00 लाख रु॰ तक से पुरस्कृत किये जाने की नीति लागू की है। पुलिस प्रशासन का आधुनिकीकरण करते हुए उन्हें

आधुनिक हथियार, सुरक्षात्मक उपकरण, बुलेटप्रूफ जैकेट, नाईट विजन बाइनोकुलर आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं, ताकि वे विधि-व्यवस्था संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान कार्य को बेहतर ढंग से सम्पादित कर सकें। फलस्वरूप उन्हें सफलताएँ मिली हैं। उग्रवादियों के 25 बंकर, 8 ट्रेनिंग कैम्प, 371 जिलेटीन, 41 लैंड माईन्स को नष्ट किया जा चुका है। भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद जब्त किये गये हैं। सभी थानों में दूरभाष, वाहन एवं वायरलेस सेट लगाये गये हैं। सभी जिलों में आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने में भी सरकार ने आशातीत सफलता प्राप्त की है।

5. राज्य के काराओं में जनाकीर्णता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। तीन हजार कैदी क्षमता की अत्याधुनिक केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में निर्माणाधीन है तथा 1,200 बंदी क्षमता की मंडल कारा का निर्माण–घाघीडीह, जमशेदपुर में प्रस्तावित है। सभी अनुमण्डलों में जहाँ कारा का निर्माण नहीं हुआ है, उसका निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। मंडल काराओं एवं उपकाराओं में 100 बंदी क्षमता के कुल 30 वार्डों का निर्माण कार्य चल रहा है। कैदियों के न्यायालयों में उपस्थापन की समस्या के निदान हेतु **"विडियो कॉन्फ्रेंसिंग"** की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। राँची और हजारीबाग केन्द्रीय काराओं में यह व्यवस्था स्वीकृत की जा चुकी है।

6. डाल्टेनगंज, साहेबगंज, जामताड़ा एवं राँची में महिला बटालियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। राज्य सरकार ने थाना एवं पुलिस लाईन रिजर्व के पदों को भी दोगुना करने का निर्णय लिया है। पुराने थानों का जीर्णोद्धार, नये थानों का निर्माण तथा जिलों में पुलिस लाईन का निर्माण कार्य, झारखंड पुलिस निर्माण निगम को सौंपा गया है।

7. **"सबको शिक्षा सबको काम"** के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। सरकार का यह संकल्प है कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार, विस्तार एवं उन्नयन कर नई शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप हुनरमंद एवं स्वावलम्बी बनाने वाली शिक्षा नीति को लागू किया जाय। इस कार्य में सरकार द्वारा निजी प्रबंधन एवं निजी क्षेत्रों की सहभागिता हासिल करने हेतु व्यापक निर्णय लिये गये हैं।

8. प्राथमिक स्तर पर साक्षरता दर बढ़ाने हेतु **"ग्राम शिक्षा अभियान"** को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत वैसे ग्राम या टोले जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1 कि॰ मी॰ से अधिक है तथा जहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, जो किसी विद्यालय में नामांकित नहीं हैं एवं उनकी संख्या 15 से 20 के बीच है, वहाँ ग्रामीणों द्वारा गठित ग्राम शिक्षा समिति की माँग पर शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन शिक्षा केन्द्रों में गाँव के ही योग्य युवक-युवतियों को 1,000/– (एक हजार) रु॰ न्यूनतम प्रतिमाह मानदेय पर नियोजित करते हुए लगभग 9,103 विद्यालयविहीन गाँवों में शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। **प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।**

9. प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तथा उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से **"सरस्वती वाहिनी मध्याह्न भोजन योजना"** को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया जा रहा है। इसमें प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को पौष्टिक एवं पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम स्तर पर महिलाओं की **सरस्वती वाहिनी समिति** गठित कर किया जायेगा, जिसमें मुख्यतया छात्र-छात्राओं की माताएँ शामिल होंगी।

10. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक गुणात्मक परिवर्तन किए जाने पर बल दिया गया है ताकि यहाँ से निकलने वाले छात्र सिर्फ एकेडेमिक स्तर पर ही पूर्ण होकर नहीं निकलें, बल्कि उनके कोर्स इस प्रकार से निरूपित किये जायें, जिससे कि वे वैश्वीकरण के नये नियोजन अवसरों का लाभ उठा सकें। सभी विश्वविद्यालयों को आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला इत्यादि के विकास हेतु गत वित्तीय वर्ष में लगभग 21.00 करोड़ रु॰ उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लगभग 28.00 करोड़ रु॰ की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान का संशोधित वेतनमान लागू कर दिया गया है।

11. वित्त रहित स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालयों को उनके कार्यकलाप एवं गुणवत्ता के आधार पर अनुदान देने पर सरकार विचार कर रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वपोषित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इसी पैटर्न पर निबंधित संस्थाओं के माध्यम से सेकेन्ड्री स्कूलों के विस्तारीकरण हेतु वित्त पोषण की

नई नीति तैयार की जा रही है ताकि निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्तर की शिक्षा की व्यापक कमी को दूर किया जा सके।

12. राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय। इस उद्देश्य से निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, सूचना प्रावैधिकी संस्थान खोलने की कार्रवाई की गई है। आर॰आई॰टी॰, जमशेदपुर को **नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** के रूप में परिवर्तित किया गया है। बी॰आई॰टी॰, सिन्दरी में छात्रों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। पूर्व स्थापित पॉलिटेक्निक के पुनर्रुत्थान की कार्रवाई भी प्रारम्भ की गई है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेरी सरकार द्वारा कार्य दक्षता लाने के उद्देश्य से लोकल एरिया नेटवर्किंग एवं वाइड एरिया नेटवर्किंग योजना पर कार्य हो रहा है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाऊस स्थित सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं राजभवन स्थित ऑड्रे हाउस को भी लोकल एरिया नेटवर्किंग से जोड़ते हुए सभी जिला मुख्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ई-गवर्नेंस एवं जी॰आई॰एस॰ के कार्य भी प्रस्तावित हैं। **आई॰टी॰ फॉर मासेज़** (I.T. FOR MASSES) की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी स्कूलों में आई॰टी॰ शिक्षा के लिये अनुदान देने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। राँची में साईंस सिटी तथा तारामण्डल स्थापित करने की योजना को पारदर्शी रूप से कार्यान्वित कराने का कार्य प्रारम्भ है।

14. राज्य की आर्थिक व्यवस्था में आज भी कृषि का प्रमुख स्थान है। राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान उपज उत्पादकता को बढ़ाकर दो गुणा करना होगा। गत वर्ष बीज विनिमय कार्यक्रम में लघु एवं सीमान्त कृषकों को धान, मकई, उड़द आदि के प्रमाणित बीज वितरित किये गये। राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक समूहों को अनुदानित दर पर पावर टीलर वितरण किये जा रहे हैं।

15. यहाँ की जलवायु में बागवानी एवं फूल विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं। किसानों की एग्रोनॉमी प्रैक्टिस में व्यापक परिवर्तन किए जाने की योजना है ताकि अपनी जमीन से वे बाजार की माँग के अनुरूप उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें।

किसानों को बागवानी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानित दर पर उन्नत किस्म का ग्राफ्ट गूटी उपलब्ध कराया जा रहा है। दुमका, जामताड़ा, पलामू एवं चाईबासा में **"एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी"** का गठन किया गया है। कृषि विभाग के ढाँचा-सुधार, नये कृषि शोध कार्य तथा फसल विकास की नई रणनीति तय करने एवं राज्य सरकार को परामर्श देने हेतु कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ॰ स्वामीनाथन की अध्यक्षता में **"कृषि सुधार, शोध एवं विकास आयोग"** का गठन किया गया है।

16. कृषि उत्पादन को व्यावसायिक रूप देने तथा कृषि एवं बागवानी उपज के निर्यात हेतु **"एग्रो एक्सपोर्ट जोन"** की स्थापना के लिए परामर्शियों से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार और एपीडा के बीच एक एम॰ओ॰यू॰ हस्ताक्षरित किया गया है। झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद् के माध्यम से 12 कोल्ड स्टोरेज एवं 2 फूड पार्क के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजार के आधुनिकीकरण की भी योजना है। **राँची में भी एक आधुनिक वृहद् सब्जी मार्केटिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।** हाट बाजारों के प्रबंधन में स्थानीय युवकों को शामिल कर लगभग 4,000 से उपर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को स्वावलम्बी बनाना, निर्णय लेने की शक्ति देकर आत्मविश्वास विकसित करना तथा सहकारिता आन्दोलन चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधि एवं उत्पादकता बढ़ाना, राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से द्विस्तरीय राज्य सहकारिता बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। बैंक के संचालन के लिए सदस्यों का चुनाव कार्य सम्पन्न हो चुका है। **मेरी सरकार की मंशा है कि इस अधिकोष के माध्यम से झारखण्ड का सहकारिता आन्दोलन पुनर्जीवित हो।**

18. जमा वृद्धि योजना के तहत् अब तक पैक्स-लैम्पस के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रु॰ का संचय किया गया है। इस योजना में पाँच हजार ग्रामीण युवक-युवतियाँ कमीशन एजेन्ट के रूप में नियोजित हैं। किसानों को उचित दाम पर खाद्य-बीज उपलब्ध कराने के लिये खाद्य-बीज का व्यवसाय लैम्पस-पैक्स द्वारा किया जा रहा है।

कृषि ऋण एवं किसानों के लिये बचत की सुविधा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये बेयर फुट बैंकर्स तैयार करने की योजना है। तसर, लाह, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि क्षेत्रों में स्वावलम्बी सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये गोदाम निर्माण की योजनाओं पर कार्य कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ है।

19. सुनिश्चित सिंचाई का प्रबन्ध, कृषि विकास की प्रथम आवश्यकता है। राज्य की कुल 29.74 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं द्वारा मात्र 12.765 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही सिंचाई सुविधा सृजित है, जबकि यहाँ की अधिकांश पठारी भूमि में लघु सिंचाई योजनाओं की विशाल संभावनाएँ हैं।

20. वृहद् सिंचाई योजनान्तर्गत सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी बराज योजना, पुनासी जलाशय योजना का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्व में इन योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन पर विचार किये बिना ही प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती थी। अब इन्हें **"टर्न–की"** के आधार पर कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है। योजना को बड़े हिस्सों में बाँट कर एकमुश्त रूप में निविदा कर कार्यान्वित कराया जायेगा। काम को कम समय पर पूरा करने वाले संवेदकों को कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना कार्यान्वन की अवधि में समानान्तर मूल्यांकन की व्यवस्था की जा रही है ताकि कार्य की गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखी जा सके। मध्यम सिंचाई योजना यथा अपरशंख जलाशय योजना, कतरी जलाशय योजना, धनसिंह टोली जलाशय योजना, कँसजोर जलाशय योजना का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरणों में है। इस वित्तीय वर्ष 2002–03 में पूर्व से लम्बित लतरातू जलाशय योजना तथा तपकरा जलाशय योजना का निर्माण पूर्ण कर नवम्बर, 2002 में जनता को समर्पित कर दिया गया है।

21. यहाँ की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लघु सिंचाई योजनाओं पर आधारित **ग्राम भागीरथी योजना** के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर चेक डैम, आहर एवं तालाबों का जाल बिछाया जाएगा। राज्य के सभी 22 जिलों में लगभग 10,000

छोटी-छोटी योजनाओं की संभावना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु छः परामर्शियों द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है।

22. सभी क्षेत्र के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्प है। विभाग का नामकरण पी॰एच॰इ॰डी॰ से बदलकर **"पेयजल एवं स्वच्छता"** विभाग कर दिया गया है जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में निजी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। अगले वित्तीय वर्ष में दुमका, लोहरदगा, गिरीडीह, चास, मानगो, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद आदि शहरों के पेयजल की समस्या के निदान हेतु **"टर्न–की"** आधार पर वृहत् पेयजलापूर्त्ति योजना कार्यान्वित की जायेगी, जिसमें दुमका शहर को मसानजोर जलाशय से तथा धनबाद शहर को मैथन जलाशय से जलापूर्त्ति की व्यवस्था होगी।

23. अभी भी बड़े एवं छोटे नगरों में जलापूर्त्ति की समस्या बनी हुई है। सरकार ने इसे चुनौती स्वरूप स्वीकार कर पिछले वर्ष एवं इस वर्ष मिलाकर लगभग 32,000 नलकूप निर्मित किये एवं 37 स्थानों पर जलमीनार बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने चापाकलों के संधारण के लिए यह निर्णय लिया है कि पंचायतवार अथवा और बड़े क्षेत्र के चापाकल समूह को पूरे वर्ष के लिए निजी संस्थाओं, संवेदकों या प्रशिक्षित युवक-युवतियों के ग्रुप को संधारण हेतु सौंपा जाय।

24. झारखण्ड सरकार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य आदि के योजनाबद्ध विकास के लिए कृतसंकल्प है। आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, पठन-पाठन, पोशाक इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ भी सी॰बी॰एस॰ई॰ पाठ्यक्रम एवं सत्र लागू कर दिया गया है। गत वर्ष इन वर्गों के लगभग 9.00 लाख छात्र-छात्राओं के बीच लगभग 29 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

25. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त पोशाक के साथ छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तक अधिकोष एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल कराने

हेतु प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 100 बिस्तर वाले 52 छात्रावास एवं 50 बिस्तर वाले 46 छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें 100 बिस्तर वाले 20 छात्रावास का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन की सर्वत्र प्रशंसा हुई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सभी छात्राओं के लिये सम्मिलित रूप में **"एकता बालिका कल्याण छात्रावास"** बनाया जा रहा है जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शुरू से ही शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर एवं राँची में 300 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की योजना पर कार्य प्रारम्भ है। यहाँ दाखिल बच्चों को भोजन तथा कपड़ा की सुविधा देने के साथ-साथ उन्हें जिला मुख्यालय के ख्यातिप्राप्त विद्यालयों में नामांकित कराया जाएगा।

26. राज्य सरकार संथाल परगना प्रमंडल में दुमका, साहेबगंज, गोड्डा एवं पाकुड़ जिले में पहाड़िया जाति के उत्थान एवं विकास के लिए कृतसंकल्पित है। 32 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जहाँ छात्र-छात्राओं को दिन का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। आदिम जनजातियों के लिए गत वर्ष 56,000/–रु॰ प्रति यूनिट की लागत पर बिरसा मुण्डा आवास योजना प्रारम्भ की गई थी। अब तक लगभग 7,000 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 6,538 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भी 6,000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अष्टम्, नवम् एवं दशम् वर्ग की छात्राओं के बीच करीब 51,000 मुफ्त साइकिलें बाँटी जा चुकी हैं। अगले वित्तीय वर्ष में भी यह योजना लागू रहेगी। राज्य से बाहर तकनीकी, मेडिकल एवं कृषि कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बिरसा मुण्डा तकनीकी छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत् 32 तकनीकी संस्थानों में शिक्षारत 233 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।

27. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के बीच तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बी॰आई॰टी॰ मेसरा, राँची में युनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संपोषण

किया जा रहा है एवं 40 छात्र-छात्राओं को **मेडिकल बायो–टेक्नोलॉजी** की शिक्षा प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष 100 छात्रों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इन छात्रों के लिए 100 शैय्या वाले होस्टलों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

28. राज्य के गरीब एवं अभिवंचित वर्ग की महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 52 नये समेकित बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति देकर सभी प्रखंडों को योजना से आच्छादित किया गया है। 24 प्रखण्डों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली महिलाओं के लिये समेकित महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **"स्वयंसिद्धा योजना"** चलायी जा रही है। गुमला, राँची, साहेबगंज, चाईबासा, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, कोडरमा, दुमका, चक्रधरपुर एवं देवघर में **मूक एवं बधिर विद्यालय सह-छात्रावास एवं नेत्रहीन विद्यालय-सह-छात्रावास** के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ है।

29. बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास के लिये राज्य के 66 प्रखण्डों में **"किशोरी शक्ति योजना"** प्रारम्भ कर 18 वर्ष तक की बालिकाओं को पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ हुई है। वृद्ध एवं निःसहाय व्यक्तियों के लिये इस वर्ष देवघर में वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है तथा राँची में भी एक वृद्धाश्रम बनाने की योजना प्रस्तावित है।

30. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरीपरक रोजगार योजनाएँ एवं स्वरोजगार योजनाएँ प्रमुख हैं। वर्ष 2010 तक राज्य सरकार ने गामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी करने का लक्ष्य रखा है। तदनुरूप इस वर्ष विभाग की योजना में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है। **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1** के अन्तर्गत अब तक लगभग 218.00 करोड़ रु॰ व्यय कर लगभग 178 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। इस योजना में मजदूरी के रूप में नगद राशि के अतिरिक्त खाद्यान्न भी दिये जाने का प्रावधान है।

31. विधायक योजना के अन्तर्गत लगभग 54.00 करोड़ रु॰ व्यय कर लगभग 3,000 योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा लगभग 3,500 योजनाएँ निर्माणाधीन

हैं। इस वित्तीय वर्ष में माननीय विधायकों को 50.00 लाख रु॰ की अतिरिक्त राशि **"लोक जल समृद्धि योजना"** को कार्यान्वित कराने हेतु दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते भू-जलीय स्तर की समस्या के समाधान की दिशा में कार्य किया जा सके।

32. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक लगभग 383 करोड़ की लागत से 2,700 कि॰मी॰ लम्बाई में 370 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ है जिसमें लगभग 700 कि॰मी॰ लम्बाई में 61 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्ष 2003-04 में तृतीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 400.00 करोड़ रु॰ की योजनाएँ कार्यान्वित होंगी। इनका चयन जिला स्तर पर प्रारम्भ है। राज्य सम्पोषित लगभग 181 करोड़ की लागत पर लगभग 1,866 कि॰मी॰ की लम्बाई में 350 योजनाएँ ली गयीं जिनमें लगभग 971 कि॰मी॰ लम्बाई में 125 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

33. मेरी सरकार ने राज्य गठन के बाद यह निर्णय लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र सड़क निर्माण कर देने से ही सभी गाँवों एवं टोलों की सम्पर्कता पूरी नहीं होगी, जब तक कि रास्ते में पड़ने वाले नदी-नालों को पुल-पुलियों से नहीं जोड़ा जाय। राज्य सरकार ने **"मुख्यमंत्री ग्राम सेतु"** योजना की परिकल्पना इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की थी जिसके सुखद परिणाम आने लगे हैं। अब तक लगभग 60 करोड़ रु॰ व्यय कर 950 पुल-पुलिया को पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग 905 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ है एवं 300 करोड़ की अनुमानित राशि की लगभग 336 योजनाओं में निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई हुई है।

34. गाँवों के समेकित विकास के बिना जन आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो सकतीं। राज्य सरकार **"अपना गाँव अपना राज"** की विचारधारा पर लोगों को सशक्त करना एवं उनकी सहभागिता प्राप्त करना चाहती है। प्रत्येक ग्राम में विकास समितियाँ बनाकर उन्हें **"ग्राम स्वराज योजना"** के अन्तर्गत एक लाख रु॰ तक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। वे अपने स्तर से योजना सूत्रण करके आर्थिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाएँ यथा – पेयजल, लघु सिंचाई, सम्पर्क पथ, स्वच्छता आदि योजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने हेतु इस वर्ष मई-जून तक पंचायत चुनाव कराये जायेंगे।

35. राज्य की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के क्रम में सड़कों की स्थिति में सुधार, चौड़ीकरण एवं विस्तार अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में की गई पहल के फलस्वरूप 2001-02 में लगभग 25 पथ योजनाओं में 800 कि॰मी॰ पथों का चौड़ीकरण एवं 600 कि॰मी॰ सड़कों का कालीकरण किया गया है तथा 17 पुलों का निर्माण हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में अन्य स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त 940 करोड़ रु॰ की लागत की 110 पथ योजनाएँ तथा 55 करोड़ रु॰ की लागत की 49 पुलों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में कुल 426 करोड़ की चालू एवं नयी स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से लगभग 1,500 कि॰मी॰ लम्बाई की सड़क एवं 39 पुलों पर कार्य प्रारम्भ है। अब तक लगभग 350 कि॰मी॰ नई सड़क एवं 9 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सड़कों के वार्षिक संधारण की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सड़क की लम्बाई के आधार पर निजी संस्थाओं या संवेदकों को वार्षिक संधारण की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

36. मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राजधानी से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली पथों, राज्य पथों, राजधानी राँची के सभी मुख्य पथों को दो लेन तक चौड़ा किया जाय। प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक स्थलों को भी जोड़ा जायेगा। राज्य की उप राजधानी दुमका को दो लेन सड़क से जोड़ने हेतु गोविन्दपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज तक के पथ निर्माण हेतु प्राप्त डी॰पी॰आर॰ के आधार पर निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनाने हेतु डी॰पी॰आर॰ बनाने का कार्य प्रगति पर है। महत्वपूर्ण रेलवे ऊपरी पुल, जीर्ण पुलों को बदलना, महत्वपूर्ण क्रॉसिंग चौराहे पर फ्लाई ओवर, राँची के संकीर्ण रास्तों के ऊपर एलिवेटेड रोड, खनन क्षेत्र के सम्पर्क पथ आदि विभाग की प्रमुख योजनाएँ हैं जिसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ है।

37. झारखण्ड राज्य की पहचान यहाँ की खान एवं वन सम्पदा से है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र घोषित है। सरकार वनों के विकास के साथ-साथ वन क्षेत्र एवं इसके आस-पास निवास करने वाले ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। सभी अवकृष्ट वनों का

संधारण किया जाएगा तथा वर्ष 2010 तक वन क्षेत्र का विस्तार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

38. राज्य गठन के साथ ही शहरी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष कुल 802 कि॰मी॰ लम्बाई में राज्य की सड़कों के किनारे लगभग 16.00 लाख पौधों का रोपण किया गया। प्रत्येक प्रखण्ड में स्थायी पौधशाला स्थापित करने की भी कार्रवाई की गई है। झारखंड वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2002-03 में लगभग 20.00 करोड़ रु॰ मजदूरी के रूप में भुगतान कर लगभग 32.00 लाख श्रम दिवस का सृजन किया गया। वन योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लगभग 41,000 हेक्टेयर में ब्लॉक प्लान्टेशन कर लगभग 513 लाख पौधे लगाये गये हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए। वन क्षेत्रों के अन्दर तथा इनके इर्द-गिर्द निवास करने वाले ग्रामीणों द्वारा आवागमन की सुविधा में वृद्धि हेतु पुल-पुलिया आदि का भी निर्माण किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन नीति के तहत् राज्य सरकार द्वारा लगभग 13,912 **ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों एवं ग्राम इको विकास समितियों** के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

39. राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 50,000 हेक्टेयर अवकृष्ट वन क्षेत्र में ब्लॉक प्लान्टेशन तथा 1,000 कि॰मी॰ लम्बाई में पी॰डब्लू॰डी॰ की पथों के किनारे वृक्षारोपण करायेगी। औषधीय पौधारोपण को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष नर्सरियों को स्थापित किया जा रहा है। विश्व बाजार में इन पौधों के उत्पाद की बढ़ती माँग के अनुरूप राज्य की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, आयुर्वेदीय चिकित्सा के विशिष्ट उपयोगों के ज्ञान के अनुरक्षण तथा पेटेंट आदि को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से **"मेडिसिनल प्लांट बोर्ड"** की स्थापना की गई है। राज्य में बाँस की विशिष्ट प्रजातियों को बढ़ावा देने, उनके उपयोग की तकनीक में सुधार तथा इनका विपणन सुनिश्चित कराने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी का गठन किया जायेगा जो इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर व्यापक योजना बनवाकर कार्यान्वित करेगी।

40. राज्य सरकार अबाध रूप से विद्युत आपूर्त्ति करने के लिये कृतसंकल्प है। राज्य सृजन के पश्चात् अब तक 918 गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं लगभग 833 गाँवों में विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

हासिल करने के लिये दसवीं पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम द्वारा रामगढ़ एवं कोडरमा में 1,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है इससे राज्य में 8,000 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश होगा। मैथन में 500 मेगावाट का पावर संयंत्र स्थापित होगा। टाटा पावर को जमशेदपुर के जोजोबेड़ा में 120 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र लगाने हेतु लगभग 1,000 करोड़ के पूँजी निवेश की स्वीकृति दी जा चुकी है। कर्णपुरा में पूर्व से ही एन॰टी॰पी॰सी॰ द्वारा 910 मेगावाट का पावर संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। सरकार द्वारा चांडिल में **"पावर प्लांट कॉम्पलेक्स"** के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जा चुकी है।

41. झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन की स्वीकृति दे दी है। राज्य के संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सुदूर क्षेत्रों को संचरण लाईनों से जोड़ने की योजना प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा रही है। तेनुघाट विद्युत निगम के 210 मेगावाट के पावर संयंत्र का संधारण कार्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। तेनुघाट तथा पतरातू में वर्तमान संचरण लाईन का सुदृढ़ीकरण कार्य अगले तीन माह में पूरा कर लिया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष में कुल 5,000 गाँवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 200 ऐसे गाँव जिसे तार से जोड़ा जाना सम्भव नहीं होगा, उन्हें अपारम्परिक ऊर्जा सोतों से ऊर्जान्वित किया जायेगा। सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 6 पावर ग्रीड के स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किये जा रहे उत्पादन, वितरण एवं संचरण कार्य में सुधार के लिए कन्सलटेंट की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में राँची की वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र से कराने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। जडा द्वारा 1.5 करोड़ की लागत पर राँची में एक **"राज्य स्तरीय एनर्जी पार्क"** बनाने की भी कार्रवाई की जा रही है।

42. मनुष्य का स्वास्थ्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास प्रक्रिया की पहली शर्त्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा में सुधार की परिकल्पना तभी पूर्ण होगी जब प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को भी सुलभ मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प है।

43. आर॰सी॰एच॰ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर चिकित्सा शिविर एवं आउटरीच कार्यक्रम प्रारम्भ है। 10 जिलों में सुरक्षित प्रसव हेतु दाईयों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।

44. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विभिन्न चरणों में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, उपकेन्द्र, अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल एवं जिला अस्पतालों के भवनों को सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाय। **"राज्य बीमारी सहायता निधि"** से गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु लगभग 2 करोड़ रु॰ की राशि विमुक्त की गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन, एड्स नियंत्रण एवं अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम आदि को सघनता से लागू किया जा रहा है।

45. क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा में मूलभूत परिवर्तन करने एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रशासन को स्वायत्ता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही सभी जिलों में **"जिला अस्पताल प्रबंधन अभिकरण"** का गठन करेगी, जिसमें जनप्रतिनिधि तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया जायेगा।

46. राज्य गठन के साथ ही सरकारी उद्घोषणा के अनुरूप राज्य की जनता को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधा राज्य में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 2002 का क्रियान्वयन कर **राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को एकीकृत कर स्वायत्तशासी संस्थान में परिणत कर दिया गया है।** इस संस्थान में अतिविशिष्ट चिकित्सा विभागों यथा कार्डियोलोजी एवं कार्डियोथोरेसिक, यूरोलॉजी एवं न्यूरोसाईन्सेज विभाग खोलने की स्वीकृति एवं निधि की व्यवस्था की गई है। इस संस्थान में चिकित्सा सेवा की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 516 ग्रेड-ए नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

47. राज्य के दो अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, धनबाद एवं जमशेदपुर में भी विशिष्ट चिकित्सा सुविधा सृजित कर उत्क्रमित करने की कार्रवाई प्रारम्भ है। हृदय रोगों की आपात्कालीन चिकित्सा सुविधा के लिए **आई॰सी॰यू॰ एवं आई॰सी॰सी॰यू॰** की स्थापना भी की जा रही है। देशी चिकित्सा शिक्षा के अधीन चाईबासा में आयुर्वेदिक

कॉलेज, गोड्डा में होमियोपैथिक कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा को सहज रूप में राज्य में सुलभ बनाने के लिए ईसरो की सहायता से एम्स, नई दिल्ली के द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं कालान्तर में पूरे स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में टेली-मेडिसीन योजना शुरू करने का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।

48. झारखण्ड राज्य खनिज सम्पदा के दृष्टिकोण से राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है जिसका समुचित एवं वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण, दोहन एवं औद्योगिक उपयोग किये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज सम्पदा का विदोहन आर्थिक विकास के मानदण्डों के अनुरूप योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से किया जाय।

49. राज्य में खनिज विकास, उत्खनन, खनिज आधारित उद्योग, आधुनिक तकनीक से भूतात्विक सर्वेक्षण, भूतात्विक आंकड़ों का संकलन, भूतात्विक नक्शे, भूतात्विक प्रयोगशाला एवं कर्मशाला आदि क्षेत्रों में पारदर्शी पद्धति से पूँजी निवेश करने या योजनान्तर्गत कार्रवाई करने हेतु **"एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट"** प्रकाशित किया गया था। फलस्वरूप इन सभी क्षेत्रों में पूँजी निवेश या योजना मद में कार्य करने हेतु देश एवं विदेशों की जानी-मानी कम्पनियों से व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर शीघ्र ही उपयोगी प्रस्तावों को धरातल पर मूर्त्त रूप दिया जायेगा। इसी प्रयास के तहत् लगभग 1,400 करोड़ रुपए की लागत पर एकीकृत स्टील प्लांट लगाने हेतु एक मेमोरण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग भी हस्ताक्षरित किया गया है।

50. राज्य में अवस्थित कोयला कम्पनियों की समस्याओं का निराकरण उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से किया जा रहा है ताकि उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि हो सके। कोयला क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा **"रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरिया विधेयक"** भी सदन में लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा खनिज नीति तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

51. भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद झारखंड के भूभागों में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए पूँजी निवेश किया गया किन्तु कालान्तर में यह क्षेत्र उपेक्षित होता रहा है। राज्य गठन के बाद राज्य सरकार ने पूँजी निवेश की गति बढ़ाने की दिशा में सार्थक पहल की है। उद्योग विभाग ने झारखण्ड औद्योगिक नीति 2001 लागू कर दी है। फलस्वरूप अब तक 602 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए पूँजी निवेश के उद्देश्य से सितम्बर, 2002 में मुम्बई रोड-शो का आयोजन किया गया जिसके उपरांत लगभग 2,200 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

52. इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राँची अरबन हाट स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय संवर्द्धन समिति की लगातार बैठकें की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा असाईड योजना के अन्तर्गत 3.8 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। पूँजी निवेश हेतु प्राप्त मेगा प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है जो सिंगल विण्डो के रूप में कार्य करेगी एवं प्राप्त प्रस्तावों का क्लियरेंस सुनिश्चित करेगी।

53. जमशेदपुर में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो को अपग्रेड कर ड्राईपोर्ट बनाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के द्वितीय स्थापना दिवस पर उद्योग मेला 2002 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। राज्य में उद्योग, व्यापार, मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित करते हुए राज्य के उद्यमियों को देश-विदेश के उद्योग मेले में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में कारगर कदम उठाया जायेगा।

54. इस राज्य की जलवायु, भौगोलिक बनावट, वनाच्छादित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अत्यन्त अनुकूल है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर नये रोजगार के अवसर एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से रजरप्पा विकास पर्षद् को लगभग 4.75 करोड़ रु॰ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त रिखिया, गोदरमना, ईटखोरी, तेनुघाट, गैतलसूद, रामरेखाधाम, उरवाँ इत्यादि पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्माण तथा मार्गीय सुविधा का कार्य

प्रगति पर है। राँची के आस-पास के 8 पर्यटन स्थलों को टर्न-की आधार पर आई॰टी॰डी॰सी॰ के माध्यम से विकसित करने हेतु साढ़े दस करोड़ रुपये की राशि पर कार्य किया जा रहा है।

55. राज्य की औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। राज्य की पर्यटन नीति एवं निवेश के लिए प्रोत्साहन योजना निर्माणाधीन है। आगामी वर्ष में इको- टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एवं ग्राम-टूरिज्म आदि के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। तिलैया डैम के आस-पास के क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिस्ट रिसोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित है जिसमें शीघ्र ही डी॰वी॰सी॰ से सम्पर्क कर एक **"एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट"** प्रकाशित कर इस क्षेत्र के पूँजी निवेशकों को आमंत्रित किया जायेगा। अन्य संभाव्य पर्यटक स्थलों को भी निजी क्षेत्र के पूँजी निवेशकों के माध्यम से विकसित करने हेतु **"एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट"** का विज्ञापन जारी किया गया है।

56. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यानों की रियायती दर पर आपूर्त्ति की अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत वैसे वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन से वंचित है, को प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 10 किलोग्राम चावल मुफ्त वितरण करने हेतु राज्य में कुल लगभग 55 हजार लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। अप्रैल, 2002 के प्रभाव से लाभान्वितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना लागू है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है। चार नये जिलों में जिला फोरम के गठन की कार्रवाई की जा रही है।

57. हमारा राज्य दूध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय परिदृश्य में अत्यन्त ही पिछड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा। टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू मवेशियों के लिये अनुदानित दर पर पशु आहार की बिक्री, मिनरल फीड सप्लिमेंट का मुफ्त वितरण, हरा चारा उत्पादन हेतु उन्नत किस्म का चारा बीज वितरण, समितियों में दुग्ध जाँच व संग्रहण कार्यक्रम हेतु समिति स्तर पर गर्भाधान केन्द्र की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। देवघर मुख्यालय में स्थापित दुग्ध शीतक केन्द्र के साथ 10,000

लीटर क्षमता की दुग्ध विधायन व पैकेजिंग संयंत्रों तथा खोवा मेकिंग संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। स्टेट मिल्क ग्रीड की स्थापना हेतु एन॰डी॰डी॰बी॰ का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

58. राज्य के कुछ हिस्सों में जहाँ जलाशय एवं बड़े जल संग्रहण क्षेत्र उपलब्ध हैं वहाँ मत्स्य पालन की असीम संभावनाएँ हैं। बड़े जलाशय यथा तिलैया डैम, चांडिल, गैतलसूद, काँके, हटिया, लतरातू, धनसिंह टोली, कँसजोर, तपकरा, नन्दिनी, कतरी, पारस, सोनुआ, मलय, दानरों कदवन, चिरका, वक्सा आदि को जल संसाधन एवं मत्स्य निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से निजी क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त कर मत्स्य पालन के मेगा प्रोजेक्ट तथा उत्प्रेरक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

59. भवन निर्माण विभाग द्वारा आर॰एम॰सी॰एच॰, राँची, एम॰जी॰एम॰, जमशेदपुर एवं पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में 100 शैय्या वाले छात्रावासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नवसृजित जिलों में आधुनिक वास्तुविद् के साथ नये समाहरणालय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें जिला स्थित सभी प्रमुख कार्यालयों को एक ही स्थान में रखा जायेगा। राँची में सभी सुविधायुक्त नये समाहरणालय निर्माण की योजना पर भी कार्य चल रहा है। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से कुल तीन प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। 4 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट भवन का निर्माण कार्य संपादित हो चुका है।

60. नवसृजित झारखण्ड राज्य में आम लोगों के लिए सस्ती, सुलभ और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परमिट व्यवस्था को अधिक उदार बनाया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ आवागमन सुविधा के लिए एकरारनामा किया जा रहा है। मालवाहकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए **झारखण्ड कार्ड योजना** लागू की गई है। लगभग 2,000 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन छः रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। राँची, देवघर, धनबाद, दुमका आदि बड़े स्थानों पर सर्वसुविधायुक्त आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाये जायेंगे।

61. नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में सड़क, शुद्ध पेयजल, नाली एवं अन्य सुविधाएँ लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राँची को

आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर बनाने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। राज्य के सभी प्रमुख शहरों के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 33.00 करोड़ रु॰ की राशि सड़क निर्माण हेतु, 21.00 करोड रु॰ नाली निर्माण हेतु, 2.00 करोड़ रु॰ विभिन्न शौचालयों के निर्माण तथा नागरिक सुविधा में लगभग 8.00 करोड़ रु॰ की स्वीकृति दी जा चुकी है। विभाग द्वारा मोरहाबादी में सड़क निर्माण, राँची में पहाड़ी मन्दिर के सौंदर्यीकरण, देवघर, जसीडीह एवं बासुकीनाथ श्रावणी मेला, राज्य के विभिन्न सात शहरों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, जमशेदपुर में आधुनिक टाउन हॉल का निर्माण, खूँटी में मार्केट कॉम्पलेक्स तथा बुण्डू एवं डाल्टेनगंज में स्नानघाट निर्माण आदि की प्रमुख योजनाएँ ली गई हैं। नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए निजी संस्थाओं की भी मदद ली जायेगी।

62. शहरी जलापूर्ति प्रक्षेत्र हेतु लगभग 7.00 करोड़ रु॰ की राशि स्वीकृत हो चुकी है एवं लगभग 21.00 करोड़ रु॰ की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु 33 योजनाएँ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को भेजी गई हैं। 22 नई योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

63. झारखण्ड राज्य की आवासीय समस्या का समाधान तीव्र गति से करने के लिए आवास बोर्ड के चार प्रमंडलों यथा – राँची, जमशेदपुर, हजारीबाग, एवं धनबाद के कार्यों को गति प्रदान की गई है। आवास पर्षद् के सीमित संसाधनों के बावजूद सभी जिला मुख्यालयों एवं कुछ अनुमंडलीय मुख्यालयों में भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। आवास के क्षेत्र में तीव्रता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति के अनुरूप आवास बोर्ड, निर्माण अभिकर्त्ता की भूमिका के स्थान पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने वाले अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा। निर्माण कार्य में निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जायेगा। आवास बोर्ड पूर्व से उपलब्ध भूखण्डों तथा अधिग्रहित भूमि पर संयुक्त क्षेत्र प्रबंधन द्वारा अन्य राज्यों की तरह आवास विकसित करायेगी जिसमें राँची, धनबाद तथा जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग एवं देवघर प्रमुख हैं।

64. राज्य गठन के बाद कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रक्षेत्र में किये गये कार्य के नतीजे सामने आने लगे हैं। खेल प्रक्षेत्र में विद्यालीय खेलकूद की

प्रतियोगिताएँ, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएँ, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन, खिलाड़ियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन आदि की महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ की गई हैं। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में भारोत्तोलन में प्रतिमा कुमारी, हॉकी में मसीरा सुरीन, सुमराय टेटे, कांति बा आदि खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है, जिससे यहा के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। खूँटी, दुमका, लातेहार, राँची एवं गुमला में स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राँची में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ हुई है जिसमें टर्न-की आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऑफर मांगने की कार्रवाई पर कार्य हो रहा है। खेल को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत खिलाड़ियों को सरकार के विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती करने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

65. राज्य की योजना निरूपण में दिशा निर्देश देने तथा आधारभूत योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु **"झारखण्ड राज्य योजना एवं आधारभूत संरचना विकास पर्षद"** अधिनियम की महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी मिलते ही पर्षद् का गठन किया जायेगा। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के तीन अति पिछड़े जिलों यथा लोहरदगा, सिमडेगा एवं गुमला को प्रति वर्ष 15 करोड़ की विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु चयनित किया गया है।

66. राज्य की राजधानी, राँची में नई राजधानी से जुड़ी हुई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु **"ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड"** का गठन किया जा चुका है। नयी राजधानी के आकार तथा विभिन्न संरचनाओं के निरूपण के लिए कन्सल्टेन्ट विशेषज्ञों का चयन हो चुका है। नयी राजधानी के निर्माण में देश एवं विदेश के सरकारी प्रतिष्ठानों ने तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है।

67. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सेवा क्षेत्रों का विस्तार कर नये नियोजन के अवसर पैदा करना चाहती है। जब तक सुदूर इलाकों के कस्बे तथा छोटे शहर आर्थिक प्रक्रिया के न्यूक्लियस के रूप में विकसित नहीं होंगे, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन की विपणन व्यवस्था संगठित एवं विकसित नहीं होगी। राज्य के

प्रखण्ड स्तरीय शहरों तथा अन्य छोटे-छोटे कस्बों की सरकारी जमीन को वाणिज्यिक उद्देश्य से विकसित तथा सुरुचिपूर्ण रूप में मार्केटिंग परिसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

68. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए **"कन्यादान योजना"** के नाम से नई योजना प्रारम्भ कर पाँच-पाँच हजार रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव है ताकि इन परिवारों को कर्ज के चक्र में फंसने तथा महाजनों एवं साहूकारों के शोषण से बचाया जा सके।

69. इसी वर्ष **"ग्राम स्वावलम्बी"** नाम की एक नई योजना भी प्रारम्भ की जा रही है जिसमें ग्राम विकास समितियों द्वारा आर्थिक उत्पादन बढ़ाने वाली योजना के लिए प्रोजेक्ट समर्पित करने पर योजना के आकार तथा स्वरूप के आधार पर उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

70. राज्य में नयी उत्पाद नीति तैयार करने की श्री जिया लाल आर्य कमिटी की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। नई उत्पाद नीति लागू होने से उत्पाद प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व प्राप्ति की संभावना है। राज्य में प्रभावी संदर्भित अधिनियमों के तहत् मादक द्रव्यों, मनः प्रभावी सुषव युक्त औषधियों, भेषजों आदि के विभिन्न संव्यवहारों का नियंत्रण एवं संधारण कर अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति करने के साथ-साथ अवैध रूप से इनके निर्माण एवं बिक्री संबंधी कार्यकलापों पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

71. केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत् साहाय्य कार्यों के लिए झारखण्ड राज्य में आपदा राहत कोष समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य में प्राकृतिक आपदा को चिह्नित कर उससे निपटने हेतु योजना बनाने एवं आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु **"आपदा संकाय"** की स्थापना की गई है। साहाय्य विभाग ने सूखाग्रस्त प्रभावित सभी क्षेत्रों, विशेष कर पलामू एवं संथाल परगना प्रमण्डल के हर गाँवों में 70,000 रु॰ प्रति तालाब की लागत पर **"साहाय्य जलाशय"** की योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है जिसका कार्यान्वयन ग्राम समितियों द्वारा किया जायेगा।

72. राज्य सरकार संकल्पित है कि श्रमिकों के किसी भी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जाय, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाय एवं मजदूरी के दरों में लिंगभेद समाप्त किया जाय। वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रमिक हितों के सापेक्ष औद्योगिक शान्ति बनाये रखते हुए उत्पादकता के वृहतर लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य का सफल कार्यान्वयन किया गया है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ कर इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो पायी है। **'ऑपरेशन जस्टिस'** कार्यक्रम के तहत् दोषी नियोजकों के विरुद्ध लगभग 1,350 दावा पत्र दायर किये गये हैं। राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को नियोजनालय के माध्यम से समुचित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में नियोजनालयों की सेवा उपलब्ध है। चतरा एवं कोडरमा में नियोजनालय के विस्तार पटल खोले जा चुके हैं।

73. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएँ यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को प्रभावकारी ढंग से लागू किया गया है। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत **पेंशनधारियों की वर्तमान संख्या में एक लाख पेंशनधारियों की अतिरिक्त वृद्धि की गई है।**

74. झारखण्ड राज्य में भूमि से संबंधित विशेष कानून यथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम/संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। मेरी सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रमों द्वारा राज्य की जनता के विकास हेतु राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। आदिवासियों की अवैध ढंग से हस्तांतरित भूमि की वापसी का कार्यक्रम सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक लगभग 3,900 मामलों में गैर कानूनी ढंग से हड़पी गई आदिवासियों की 2,700 एकड़ भूमि में से 1063 मामले को स्वीकृत किया गया है। 460 मामले में लगभग 367 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया है।

75. राज्य के भू-मानचित्रों का जी॰आई॰एस॰ माध्यम से कम्प्यूटरीकरण सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अन्तर्गत उपलब्ध मानचित्रों को कम्प्यूटर फार्मेट में परिवर्तित कर भू-खण्ड से संबंधित समस्त आंकड़े एकत्रित कर संधारित किया

जायेगा। सरकार ने विशेषकर ग्रामीण आबादी की सांस्कृतिक कार्यों की अक्षुण्णता एवं आर्थिक क्रियाकलापों में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सैरात के अन्तर्गत आने वाले हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी–घाटी आदि के विकास की दूरगामी योजना तैयार की है।

76. पुराने नियमों, कानूनों आदि को झारखण्ड की परम्परा, संस्कृति एवं यहाँ की अवधारणाओं के अनुरूप करने, अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करने तथा आवश्यक कानूनों के निरूपण हेतु अनुशंसा देने के लिए राज्य विधि आयोग का गठन किया गया है। न्याय प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान करने की दिशा में अभियोजन की स्वीकृति एवं जनहित से संबंधित मामलों में मुकदमों की वापसी के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

77. न्यायिक पदाधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु **"न्यायिक संस्थान"** की स्थापना की गई है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत् होने वाले मुकदमों की त्वरित सुनवाई हेतु राँची एवं दुमका में एक-एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है।

78. बिक्री कर में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आम जनता को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, सभी प्रकार के अचार, वेजीटेबल सूप, फलों के पल्प, साईकिल एवं रिक्शा के टायर एवं ट्यूब पर से वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटा दिया गया है। वनों पर आधारित उद्योग यथा – पत्तल से बने थाली एवं दोना, बाँस एवं बाँस से बने सामान आदि पर वर्तमान में लागू 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को भी हटा दिया गया है। रेडिमेड कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्ष इस पर लागू कर की दर में कमी की गई थी। इसके अतिरिक्त माचिस, घड़ी तथा सोना एवं चाँदी एवं उससे बने जेवर पर सतही दर को लागू किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार की पहल पर प्रारम्भ की गई वैट पद्धति लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

79. यह सर्वविदित है कि भ्रष्टाचार विकास के कार्यक्रमों को अवरुद्ध करता है। यह गम्भीर समस्या राज्य एवं केन्द्र प्रशासन के लिए निरन्तर चुनौती के रूप में है।

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये मेरी सरकार दृढ़संकल्प है। भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए निगरानी ब्यूरो द्वारा दण्डाधिकारी एवं आरक्षी पदाधिकारियों के नेतृत्व में धावा दल गठित करते हुए कार्रवाई की गई है। 80 **"ट्रैप केसों"** में कुल 102 आरोपित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, इनमें से अब तक 80 काण्डों में 78 अभियुक्तों पर आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। दो काण्डों में अभियुक्तों को सजा भी दी जा चुकी है।

80. लोक कल्याण से प्रतिबद्ध मेरी सरकार राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है और विकास के अभीष्ट को प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को लोकोन्मुखी बनाया जा रहा है। जटिल कार्य पद्धति के सरलीकरण के उपाय किये जा रहे हैं। मेरी सरकार का यह प्रयास है कि हमारे सरकारी तंत्र आम नागरिक को सहज रूप से उपलब्ध हों, जिससे समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। राज्य सरकार लोगों के कल्याण, उनके सुख एवं शांति को सर्वोपरि मानते हुए राज्य का प्रशासन इस प्रकार चलाना चाहती है, जैसा कि राजधर्म निर्वहन के सम्बन्ध में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में व्याख्या की है–

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ।।

81. अन्त में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यगण वर्तमान सत्र के वित्तीय एवं विधायी कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित करने एवं इस राज्य को देश की प्रथम पंक्ति में खड़ा करने में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करेंगे।

जय हिन्द !